

7. भाग-क तथा ख में सारणियों में यथोचित, सभी प्राप्ति तथा निर्वाचन के दौरान (निर्वाचन के घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने तक) राजनैतिक दल द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय का सार

क	दल का नाम	
ख	मतदान की तिथि (तिथियां)	
ग	निर्वाचन (राज्य तथा विधान सभा / लोक सभा / निर्वाचन क्षेत्र के नाम का उल्लेख करें)	NIL
घ	अंत शेष (पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय तथा राज्य/जिला/स्थानीय स्तर के इकाइयों सहित सभी के लिए) विवरण (i) रोकड़ शेष (निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.1क (i) + 6.1 क (i)) (ii) बैंक में भण्ड (निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.1क (ii) + 6.1क (ii))	राशि
ङ	निर्वाचन की घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तक सकल प्राप्ति (पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय तथा राज्य/जिला/स्थानीय स्तर की इकाइयों, दोनों) विवरण (i) नकद-सभी राज्यों का 5.2क (i) + 6.2 क (i)) (ii) चेक अथवा ड्राफ्ट (सभी राज्यों का 5.2क (ii) + 6.2 क (ii)) (iii) वस्तुगत (अथवा मानार्थ प्राप्ति) (निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.2क (iii) + 6.2 क (iii)) (iv) कुल प्राप्ति (प्राप्तियों)	NIL
च	निर्वाचन की घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तक (केन्द्रीय मुख्यालय तथा राज्य/जिला/स्थानीय स्तर की इकाइयों, दोनों में) सामान्य दल प्रचार के लिए उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय। विवरण I. नकद अथवा चेक/डीडी आदि (निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.3क (i) + 6.3 क (i)) II. चेक अथवा ड्राफ्ट (निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.3क (ii) + 6.3 क (ii)) III. प्राधिकृत व्यय, परन्तु निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि को बकाया रह जाना (निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.3क (iii) + 6.3 क (iii)) IV सामान्य दल प्रचार पर कुल व्यय	राशि
छ	राजनैतिक दल द्वारा सामान्य दल प्रचार के अतिरिक्त अभियंता (अभियंताओं) के लिए उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय (केन्द्रीय मुख्यालय तथा राज्य/जिला/स्थानीय स्तर की इकाइयों, दोनों में) विवरण I. नकद अथवा चेक / डीडी आदि द्वारा अभियंता (अभियंताओं) को भुगतान (5.4क (i) + 6.4 क (i)) II. वस्तुगत रूप में- क. मीडिया को किए गए भुगतान (निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.4क (ii) + 6.4 क (ii)) ख. प्रचार सामग्री (निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.4क (iii) + 6.4 क (iii)) ग. जन सभाएँ, जलूस आदि (निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.4क (iv) + 6.4क (iv)) घ. कोई अन्य व्यय (निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.4क (v) + 6.4क (v)) ङ. आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रसार-प्रचार (सभी निर्वाचन संबंधी राज्यों के 5.4क (vi) + 6.4क (vi)) III. सोशल मीडिया प्लेटफार्मों/ऐप/अन्य साधनों के माध्यम से वस्तुगत प्रचार-अभियान मर व्यय (निर्वाचन वाले सभी संबंधित राज्यों का 5.4क (vii) + 6.4क (vii)) IV अभियंता (अभियंताओं) का कुल व्यय	राशि
ज	सामान्य दल प्रचार के लिए तथा अभियंता (अभियंताओं) के लिए सकल व्यय (इस सारणी के ऊपर के च(iv) + छ(iv) का कुल जोड़)	NIL
झ	अंत शेष (पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय तथा राज्य/जिला/स्थानीय स्तर की इकाइयों, दोनों में) विवरण क. रोकड़ शेष (निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.6क (i) + 6.6क (i)) ख. बैंक शेष (निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.6क (ii) + 6.6क (ii)) ग. कुल अंत शेष (बलोजिंग बैलेंस)	राशि

